काउन्सलिंग हेतु दिशा-निर्देश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालयों इन्दौर सागर एवं जबलपुर से उत्तीर्ण छात्राओं की काउन्सलिंग हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर सागर एवं जबलपुर से उत्तीर्ण बी.एस.सी नर्सिंग छात्राओं को मेरिट कम च्वाईस फिलिंग अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में आबंटन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से काउन्सलिंग कर निम्न शर्तों के अनुसार किया जाना है -

1. स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालयों इन्दौर सागर एवं जबलपुर से बी.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्ण उत्तीर्ण छात्राओं के परीक्षा परिणामों के प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष के संपूर्ण अंकों के प्रतिशतता अनुसार मैरिट सूची ही कांउसलिंग की चयन सूची होगी।

2. यह काउंसलिंग एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जावेगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 600+जी.एस.टी. ऑनलाईन देय होगा।

3. मैरिट सूची के समस्त अभ्यार्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी विभाग की वेबसाईट https://www.health.mp.gov.in एवं एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदर्शित कर प्रदाय की जायेगी।

4. मेरिट सूची (चयन सूची) के अभ्यार्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिये गये विकल्प की प्राथमिकता अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा।

5. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling दिनांक 17/09/2025 से 24/09/2025 तक की जा सकेगी ।

6. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling के समय अपने विकल्प अनुसार प्रदर्शित (रिक्त पद की स्थिति अनुसार) वर्गवार समस्त उल्लेखित चिकित्सा महाविद्यालयों की वरीयता के क्रमानुसार दिया जाना आवश्यक होगा।

7. Choice Filling करने के बाद सबमिट किये जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के कम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

8. अभ्यार्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी।

9. काउंसलिंग में अभ्यार्थी को आवंटित चिकित्सा महाविद्यालय अंतिम होगा। आवंटित संस्थान में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथी पर अनुपस्थित रहते है अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपात्र होते है उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हूये उक्त पदों को रिक्त माना जायेगा ।

10. ऐसे अभ्यार्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते है अर्थात काउन्सलिंग की प्रक्रिया में भाग नही लिया जाता है तो अभ्यर्थियों की दावेदारी समाप्त मानी जावेगी ।

11. अभ्यार्थी को आवंटित चिकित्सा महाविद्यालयों में नियत तिथि पर संबंधित कार्यालय अधिष्ठाता में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा ।

12. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों चयनित अभ्यर्थियों की सूची, नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे ।

13 किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

14. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

संचालक (अराजपत्रित)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश